# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

| अपील संख्या | किस्म मुकदमा | प्रवेश दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | अपील इंतकाल | 09.04.2025 | 09.10.2025 |

**उनवान प्रकरण :–**

1– गोरधन

2–बाबूलाल

3–मूलचंद पुत्रान स्व. मक्खनलाल

4–सुरेन्द्र

5–डालचन्द पुत्रान स्व. रमेशचंद पुत्र स्व. मक्खनलाल

6–पिंकी पुत्री स्व. रमेशचंद पुत्र स्व. मक्खनलाल

7–मदनलाल पुत्र स्व. मक्खनलाल

8–गिरनी देवी

9–मुन्नी देवी पुत्रीयान मक्खनलाल

10– स्वाती

11– प्रीती पुत्रीयान ऋषिपाल

12–मंजीत पुत्र ऋषिपाल

13–छोटू पुत्र स्व.ऋषिपाल

14–पुष्पा पत्नी स्व. ऋषिपाल

जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बूढीबावल डवसमतल तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

:–अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. श्रीमान तहसीलदार टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2. श्योराज पुत्र मानसिंह
3. मुकेश पुत्र श्योबीर सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कारौली तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

:–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 13-02-2025 जो निर्णय तहसीलदार टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान) द्वारा प्रकरण स. 14/24 में नामांतरण सं. 1311 ग्राम कारौली तहसील टपूकडा आराजी खसरा 889/329 रकबा 0-12 हैक्टेयर अर्थात 1200 वर्गमीटर वाके ग्राम कारौली तहसील टपूकडा में पारित किया गया है, को निरस्त किया जाकर स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट्स।

उपस्थित :

1. **श्री उमा शंकर शर्मा एडवोकेट** :– वकील अपीलान्टान
2. **श्री दिनेश यादव एडवोकेट** :– वकील रेस्पोडेन्टान

-: **निर्णय** :-

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 2025-02-13 न्यायालय तहसीलदार टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) के पेश कर निवेदन किया कि अपील हाजा समाअतः अदालत श्रीमान है। अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 2025-02-13 के पेश की जा रही है, जिसकी नकल अपीलान्ट्स को दिनांक 2025-04-04 को प्राप्त हुई है, जिससे अपील हाजा अन्दर अवधि पेश है। अपील हाजा पर दो रूपये कोर्ट फीस व नियमानुसार तलबाना फीस चस्पा कर पेश है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा ( राजस्थान) द्वारा बाबत इंतकाल सं. 1311 ग्राम कारौली तहसील टपूकडा 889/329 रकबा 0.12 हैक्टेयर अर्थात 1200 वर्गमीटर (आराजी खसरा सं. 329 रकबा 0.52 हैक्टेयर) वाके ग्राम कारौली तहसील टपूकडा में आलोच्य निर्णय दिनांक 2025-02-13 विधि एवं तथ्यों के विपरित पारित किया गया है, जिससे हम अपीलान्ट्स को काफी हानि उठानी पडी है, जिसे रूपयों में नही आंका जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टपूकडा का आलोच्य निर्णय दिनांक 2025-02-13 बाबत नामांतरकरण सं1311 संलग्न पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 व 3 के द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाके ग्राम कारौली तहसील टपूकडा आराजी खसरा सं. 329 रकबा 0.52 हैक्टेयर (889/329 रकबा 0.12 हैक्टेयर अर्थात 1200 वर्गमीटर) के इंतकाल सं. 1311 बाबत एक अपील सं. 11/3/22 बअनुवान श्योराज बनाम तहसीलदार वगै० दायर की थी, जिसमें दिनांक 2024-08-05 को न्यायालय श्रीमान ने आदेश पारित किये थे कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामा० सं० 1311 ग्राम कारौली तहसील टपूकडा में अंकित आराजी खसरा सं. 329 रकबा 1056 वर्गमीटर आवासीय रूपान्तरित की जद तक उप तहसीलदार टपूकडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2015-02-25 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार टपूकडा के पास इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि पक्षकारान को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करे। साथ ही मुआवजे के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार से कोई वसूल या पुनर्निर्धारण किया जाना हो तो रीको अपने स्तर नियमानुसार कार्यवाही करे। अधीनस्थ तहसीलदार टपूकडा को उक्त पत्रावली रिमाण्ड होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से हम अपीलान्ट्स के समन जारी कर तामील कराई जानी चाहिए थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हम अपीलान्ट्स को बिना समन जारी किये व तामील कराये व बिना कोई सूचना दिये एवं समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर इंतकाल सं. 1311 में अपना आलोच्य निर्णय "आराजी खसरा सं. 889/329 रकबा 1056 वर्गमीटर आवासीय रूपांतरित (गैर मुमकिन आबादी) भूमि श्योराज पुत्र मानसिंह व मुकेश पुत्र श्योबीर सिंह जाति राजपूत साकिन देह समभाग खातेदार दर्ज किया जाना उचित है तथा शेष रकबा 144 वर्गमीटर पर ऋषिपाल पुत्र मक्खनलाल, गिरनी देवी पुत्री मक्खनलाल, गौरधन पुत्र मक्खनलाल, बाबूलाल पुत्र मक्खनलाल, मदनलाल पुत्र मक्खनलाल, मुन्नी देवी पुत्री मक्खनलाल, मूलचंद पुत्र मक्खनलाल, रमेशचन्द पुत्र मक्खनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण बूढीबावल तहसील कोटकासिम समभाग खातेदार दर्ज किया जाना उचित है" दिनांक -02-13 2025 को पारित कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपना आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व हम अपीलान्ट्स को सुना जाना आवश्यक था किन्तु तहसीलदार टपूकडा ने समस्त कायदे को वालाय ताक में रखते हुए मनमाने तरीके से अपना यह आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जबकि उक्त आराजी खसरा सं. 889/329 रकबा 0.12 हैक्टेयर अर्थात 1200 वर्गमीटर वाके ग्राम कारौली तहसील टपूकडा में हम अपीलान्ट्स का 1/2 हिस्सा अर्थात 600 वर्गमीटर हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकोर्ड व इंतकाल सं. 1311 निहित है तथा अधीनस्थ

न्यायालय के द्वारा मृतक व्यक्ति रमेशचन्द व ऋषिपाल के विरूद्ध आदेश दिनांक 2025-02-13 पारित किये गये है, जबकि मृतक व्यक्ति ऋषिपाल व रमेशचंद के वारिसान की जाँच करना आवश्यक था, जिससे भी जो आलोच्य निर्णय हर सूरत में काबिले निरस्तनीय है। तहसीलदार टपूकडा द्वारा उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 2025-02-13 विधि विरूद्ध जारी किया गया है, जिस हेतु यह अपील, न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। हम अपीलान्ट्स को उक्त आलोच्य आदेश का कतई ज्ञान नही था। जब हम अपीलान्ट्स हल्का पटवारी के पास गये और अपनी जमीन के बारे में जानकारी की तो पता चला कि इंतकाल सं. 1311 आराजी खसरा सं. 889/329 का निर्णय तहसीलदार टपूकडा द्वारा दिनांक 2025-02-13 को कर दिया गया है, जिस पर हम अपीलान्ट्स के द्वारा अविलम्ब ही उक्त निर्णय की नकल प्राप्ति के लिए आवेदन किया गया, जिस आलोच्य निर्णय दिनांक 2025-02-13 की नकल दिनांक 2025-04-04 को हम अपीलान्ट्स को प्राप्त हुई, जिससे अविलम्ब ही अपील हाजा श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब कर संलग्न पत्रावली किया गया।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत प्रमाणित प्रति नकल आदेशिका दिनांक 13.02.2025 प्रदर्श–1, प्रार्थना पत्र 04.10.2024 प्रदर्श–2, तहसीलदार का पत्रांक दिनांक 06.02.2025 प्रदर्श–3, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.02.2025 प्रदर्श–4, निर्णय तहसीलदार टपूकडा दिनांक 13.02.2025 प्रदर्श–5, निर्णय न्यायालय अति. जिला कलक्टर भिवाडी दिनांक 05.08.2024 प्रदर्श–6 संलग्न किया गया है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मीमो को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 05.08.2025 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर के आदेशों की पालना में तहसीलदार टपूकडा द्वारा हम पक्षकारान को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करना था किन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 1 तहसीलदार टपूकडा द्वारा हमें किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मृतक व्यक्ति रमेशचन्द व ऋषिपाल के विरूद्ध आदेश दिनांक 13.02.2025 पारित किये गये है जबकि मृतकों के वारिसान की जांच कराना आवश्यक था। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 13.02.2025 निरस्त कर हम अपीलान्टस को पुनः सुनकर निर्णय पारित करने का आदेश देने हेतू निवेदन किया। तथा मियाद अधिनियम कि धारा 5 पर नर्मी का रूख अपनाते हुए आदेश दिनांक से अपील दिनांक तक कि अवधी को कन्डोन कर अपील मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में निवेदन किया कि तहत न्यायाल द्वारा दिनांक 13.02.2025 का आदेश विधिवत पारित किया गया है। साथ ही विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की अपील अब न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर को की जानी चाहिए, अपील अपीलान्ट खारिज करने हेतू निवेदन किया।

हमने संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में देरी होने का कारण दर्शित किया है। अतः प्रार्थना पत्र पर नर्मी का रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिनांक से अपील दायर दिनांक तक कि अवधी को कन्डोन किया जाकर अपील मियाद शुमार कि जाती है। जहां तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है इस विषय में मेरा मत है कि तहसीलदार टपूकडा के आदेश दिनांक 13.02.2025 को पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारान को सुनना आवश्यक था जैसा की न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 05.08.2024 में भी निर्देश दिये गये थें।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टपूकडा का आदेश दिनांक 13.02.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार टपूकडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.08.2025 के निर्देशानुसार सभी पक्षकारान को सुन कर निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को पालनार्थ प्रेषित हो। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील व तरतीब दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09/10/2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।